रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22062020-220092
CG-DL-W-22062020-220092

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, जून 14—जून 20, 2020, शनिवार/ज्येष्ठ 24—ज्येष्ठ 30, 1942
No. 21] NEW DELHI, JUNE 14—JUNE 20, 2020, SATURDAY/JYAISTHA 24—JYAISTHA 30, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 12 जून, 2020

का.आ. 461.—केन्द्र सरकार, एतदद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 की अधिनियम संख्या 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडू राज्य सरकार, गृह (पीओएल.VII) विभाग की अधिसूचना जी.ओ. (एमएस.) सं. 181, दिनांक 09.04.2020 के माध्यम से प्राप्त सहमति से इंडियन रेडक्रास सोसायटी, तमिलनाडू शाखा की प्रबंधन समिति से जुड़े अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय के अधिकारी के साथ साँठ-गाँठ कर के उनके सहयोग में आपराधिक कदाचार, विश्वासघात, निधियों का दुरुपयोग, खातों का उचित लेखा परीक्षा नहीं कराने, सोसाइटी के निधियों व परिसंपत्तियों का दुर्विनियोजन, निर्वाचन प्रक्रिया में शिकायत तथा अनिवार्य प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में असफल रहने के संबंध में माननीय राज्यपाल के उपसचिव, माननीय राज्यपाल, तमिलनाडू का कार्यालय,

द्वारा अग्रेषित शिकायत के संबंध में किए गए अपराध(धों) के अन्वेषण करने के लिए तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध(धों) का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त तमिलनाडू राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/06/2020-एवीडी-II]

एस.पी.आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 12th June, 2020

S.O. 461.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Tamil Nadu, issued vide Home (POL.VII) Department Notification G.O. (Ms.). No. 181 dated 09.04.2020, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to whole State of Tamil Nadu for investigation into the complaint forwarded by the Deputy Secretary to Governor, Office of the Hon'ble Governor, Tamil Nadu, pertaining to the Management Committee of the Indian Red Cross Society, Tamil Nadu Branch, regarding the allegation of criminal misconduct, criminal breach of trust, misuse of funds, no proper audit of accounts, misappropriation of society funds and assets, complaints in the election process and the failure to carry out the mandatory procedures by the office bearers in collusion and aided by office bearer of the National Headquarters at New Delhi and any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/06/2020-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जून, 2020

का.आ. 462.—केन्द्र सरकार, एतदद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 की अधिनियम संख्या 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल राज्य सरकार, गृह (एम) विभाग की अधिसूचना जी.ओ. (एमएस.) सं. 151/2019/गृह, दिनांक तिरुवनंतपुरम, 11 अक्तूबर, 2019 [एस.आर.ओ. सं. 738/2019 के रूप में प्रकाशित] सपठित गृह (एम) विभाग की अधिसूचना जी.ओ. (एमएस.) सं. 179/2019/गृह, दिनांक तिरुवनंतपुरम, 13 नवंबर, 2019 [एस.आर.ओ. सं. 872/2019 के रूप में प्रकाशित] को जारी इसके शुद्धि पत्र के माध्यम से प्राप्त सहमति से रंजीत कुमार, तरुप्पाक्कोडू कारुमैम हाउस, कैमालाचेरी, तिरुर, मालाप्पुरम जिला, केरल की अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित पावारत्ती थाना, त्रिसूर जिला में दर्ज अपराध सं. 458/2019 के संबंध में किए गए अपराध(धों) के अन्वेषण करने के लिए तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध(धों) का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त केरल राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/04/2020-एवीडी-II]

एस.पी.आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

New Delhi, the 12th June, 2020

S.O. 462.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Kerala, issued vide Home (M) Department Notification G.O. (Ms.) No. 151/2019/Home dated Thiruvananthapuram, 11th October, 2019 [Published as S.R.O. No. 738/2019], r/w its corrigendum issued vide Home (M) Department Notification G.O. (Ms.) No. 179/2019/Home dated Thiruvananthapuram, 13th November, 2019 [Published as S.R.O. No. 872/2019], hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to whole State of Kerala for investigation into the offence(s) relating to Crime No. 458/2019 of Pavaratty Police Station, Thrissur District registered in connection with unnatural death of Renjith Kumar, Thruppakkodu Karumam House, Kaimalacheri, Thirur, Malappuram District, Kerala and any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/04/2020-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जून, 2020

का.आ. 463.—केन्द्र सरकार, एतदद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 की अधिनियम संख्या 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल राज्य सरकार, गृह (एम) विभाग की अधिसूचना जी.ओ. (एमएस.) सं. 196/2019/गृह, दिनांक 5 दिसंबर, 2019 [एस.आर.ओ. सं. 955/2019 के रूप में प्रकाशित] के माध्यम से प्राप्त सहमति से प्रख्यात वॉयलीन वादक श्री बालाभास्कर, तिरुवनंतपुरम, केरल की अकस्मात मृत्यु से संबंधित मंगलापुरम थाना, तिरुवनंतपुरम के अपराध सं. 1591/2018 के संबंध में किए गए अपराध(धों) के अन्वेषण करने के लिए तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध(धों) का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त केरल राज्य में करती है ।

[फा. सं. 228/03/2020-एवीडी-II]

एस.पी.आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

New Delhi, the 12th June, 2020

S.O. 463.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Kerala, issued vide Home (M) Department Notification G.O. (Ms.) No. 196/2019/Home dated Thiruvananthapuram, 5th December, 2019 [Published as S.R.O. No. 955/2019], hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to whole State of Kerala for investigation into the offence(s) relating to Crime No. 1591/2018 of Mangalapuram Police Station, Thiruvananthapuram in respect of accidental death of famous violinist Shri Balabhaskar, Thiruvananthapuram, Kerala and any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/03/2020-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

का.आ. 464.—केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 3 की उपधारा 3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी, सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को दिनाँक 01.06.2020 से 30.06.2022 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तेल उद्योग विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. जी-38011/41/2016-वित्त I]

पेरिन देवी, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 15th June, 2020

S.O. 464.—In exercise of the Powers conferred by Sub-Section 3(a) of Section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974(47 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Rajesh Kumar Chaturvedi, Secretary, Department of Chemicals and Petrochemicals as a member of the Oil Industry Development Board w.e.f. 01.06.2020 to 30.06.2022 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. G-38011/41/2016-Fin.I]

PERIN DEVI, Director

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

का.आ. 465.—केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 3 की उपधारा 3(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अमर नाथ, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को दिनाँक 01.06.2020 से 31.05.2022 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तेल उद्योग विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. जी-38011/41/2016-वित्त I]

पेरिन देवी, निदेशक

New Delhi, the 15th June, 2020

S.O. 465.—In exercise of the Powers conferred by Sub-Section 3(b) of Section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974(47 of 1974), the Central Government hereby appoints Sh. Amar Nath, Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas as a member of the Oil Industry Development Board w.e.f. 01.06.2020 to 31.05.2022 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. G-38011/41/2016-Fin.I]

PERIN DEVI, Director

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

का.आ.466.—केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 3 की उपधारा 3(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एम.के. सुराणा, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, एचपीसीएल को दिनाँक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तेल उद्योग विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. जी-38011/41/2016-वित्त I]

पेरिन देवी, निदेशक

New Delhi, the 15th June, 2020

S.O. 466.—In exercise of the Powers conferred by Sub-Section 3(c) of Section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974(47 of 1974), the Central Government hereby appoints Sh. M.K. Surana, Chairman and Managing Director, HPCL as a member of the Oil Industry Development Board w.e.f. 01.04.2020 to 31.03.2021 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. G-38011/41/2016-Fin.I]

PERIN DEVI, Director

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 467.—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. संख्यांक 174, तारीख 11 फरवरी, 2020, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 15 फरवरी, 2020 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और ऐसी भूमि, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है), में या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि 'दि सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड', डाकघर कोठागुडेम, जिला खम्माम, जिला तेलंगाना-507101 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित भूमि 2255.575 एकड़ (लगभग) या 912.799 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार तारीख 15 फरवरी, 2020 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् : -

(1) सरकारी कंपनी उक्त अधिनियम के उपबंधों और अन्य सुसंगत विधियों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों आदि से संबंधित और वैसी ही मदों की बाबत् सभी संदाय करेगी;

(2) सरकारी कंपनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा और उक्त अधिकरण और किसी ऐसे अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में, उपगत सभी व्यय, उक्त सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे और इसी प्रकार, निहित उक्त भूमियों में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपील आदि विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत सभी व्यय भी सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे ;

(3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारें में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरूद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो ।

(4) सरकारी कंपनी को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि में इस प्रकार निहित अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी ; और

(5) सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं ।

[फा. सं. 43015/18/2015-एलए एण्ड आईआर (खंड II)]

राम शिरोमणि सरोज, उप सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 18th June, 2020

S. O. 467.—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S. O. 174, dated the 11th February, 2020 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th February, 2020 issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act ;

And whereas, the Central Government is satisfied that 'The Singareni Collieries Company Limited' P.O. Kothagudem, District Khammam, State Telangana -507101 (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said land measuring 2255.575 acres (approximately) or 912.799 hectares (approximately) with all rights in or over the said land so vested shall with effect from the 15th February, 2020 instead of continuing to so vest in the Central Government, be deemed to have been vested in the said Government Company, subject to the following terms and conditions, namely:-

(1) the Government Company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages, etc. and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;

(2) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government Company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the said Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government Company;

(3) the Government Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;

(4) the Government Company shall have no power to transfer the lands to any other persons without the prior approval of the Central Government ; and

(5) the Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands, as and when necessary.

[F. No. 43015/18/2015-LA&IR(Vol.II)]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 468.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एंव निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एंव निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 12, के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स मित्रा एस. के. प्राइवेट लिमिटेड, कुलई, 3-54/सी-9, लक्ष्मी टावर्स, एन.एच-66, मेन रोड, नियर शेट्टी आइस्क्रीम, कुलई - मंगलौर-575019 (जिसे एतद्पश्चात उक्त अभिकरण माना जाएगा) को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, वाणिज्य मंत्रालय की शासकीय राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना के साथ अनुसूची में निर्दिष्ट दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना की संख्या का.आ. 3975 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज और अयस्क समूह-। अर्थात लौह अयस्क के निर्यात से पूर्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन न्यू मंगलौर पत्तन में उक्त खनिज एवं अयस्क के निरीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात् :

(i) यह अभिकरण, खनिज और अयस्क समूह-I का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अधीन निरीक्षण की पद्धति की जाँच करने के लिये निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा निमित्त नामनिर्दिष्ट अधिकारियों को पर्याप्त सुविधाएं देगी; और

(ii) यह अभिकरण, इस अधिसूचना में निर्दिष्टानुसार इसके कार्यो के निष्पादन के लिए निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण),निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर, लिखित रूप में, दिए गए निर्देशों से आबद्ध होंगी ।

[फा. सं. के-16014/8/2020 - निर्यात निरीक्षण]

दिवाकर नाथ मिसरा, संयुक्त सचिव (निर्यात निरीक्षण प्रभाग)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

New Delhi, the 18th June, 2020

S. O. 468.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby recognises M/s Mitra S.K. Private Limited , Kulai, 3-54/C-9, Lakshmi Towers, NH-66, Main Road, Near Shetty Ice Cream, Kulai - Mangalore - 575019, (hereinafter referred to as the said Agency) as an agency for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette , for the inspection of Minerals and Ores, Group – I, namely, Iron Ore as specified in the Schedule annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce published in the Official Gazette *vide* number S.O. 3975 dated the 20th December, 1965, prior to export of the said Minerals and Ores at New Mangalore Port, subject to the following conditions, namely: -

(i) the said agency shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in carrying out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals and Ores - Group I (Inspection) Rules, 1965 ; and

(ii) the said agency shall, in performance of its function as specified in this notification shall be bound by such directions, as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council, may give in writing from time to time.

[F. No. K-16014/8/2020- Export Inspection]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy. (Export Inspection Division)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date 2020.06.22 21:59:36 +05'30'